## न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

| हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज ........ बनाम ........ मु. सं. | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|
| मुकेश बनाम कन्हैया | |

27/4/18 पुनश्च:- राजस्व लोक अदालत- न्याय आपके द्वार के लिए पत्रावली प्राप्त की गई। पक्षकारों को नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 8:5:18 को लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र गढ़हिम्मतसिंह में पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

दिनांक 08–05–2018

आज यह पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प–गढहिम्मतसिंह पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी मुकेश पुत्र भज्जू व मोहन पुत्र राधेश्याम जाति माली निवासी गढ हिम्मतसिंह ने मुख्यरूप से प्रतिवादी कन्हैया,रामसिंह,राधेश्याम व बुद्धी के विरुद्ध वाद पत्र घोषणा खातेदारी प्रस्तुत करते हुये ग्राम गढहिम्मतसिंह तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 699 से [illegible] 712,714 कुल किता 8 रकबा 0.43 है., खसरा नम्बर [illegible] 671,6711031, 672 से 677,691,692,693,697,698, [illegible] से 711,713,715से 721,721/1016,723 से 738, [illegible] से 750,742/1011, 742/1012, 743/1013, [illegible]/1014, 748/1012,779 कुल किता 63 रकबा 11.63 है व खसरा नम्बर 706, 750/1019 कुल किता 2 रकबा [illegible] में प्रतिवादी संख्या 1 कन्हैया की खातेदारी

# न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिका

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज |
|---|---|
| | मुकेश बनाम कन्हैया<br>मु. सं. 90/15 (3191) |
| | हमने पत्रावली का अवलोकन किया। तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवादी सुवादेवी,मिवासी, हरचन्द का देहान्त वाद प्रस्तुत करने से पूर्व ही मृत्यु हो चुकी है। इसलिये मृतक प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादकरण उत्पन्न नहीं होता है तथा वादीगण का वाद आदेश–7, नियम–11 के प्रावधानों के अनुसार चलने योग्य नहीं पाया जाता है। वादीगण की ओर से वाद पत्र दिनांक 2–7–2015 को प्रस्तुत किया गया किन्तु तीन वर्ष का समय व्यंतीत हो जाने के उपरान्त भी तलबाना सम्मन प्रस्तुत नहीं किये गये हैं इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वादीगण अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं पाया जाता है।<br><br>अतः वादीगण का वाद बाबत ग्राम गढहिम्मतसिंह तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 699 से 704,712,714 कुल किता 8 रकबा 0.43 है., खसरा नम्बर 669, 670, 671, 671/1031, 672 से 677, 691, 692, 693, 697, 698, 705, 707 से 711,713,715 से 721, 721/1016,723 से 738, 740 से 750,742/1011, 742/1012, 743/1013, 743/1014, 748/1012,779 कुल किता 63 रकबा 11.83 है. व खसरा नम्बर 706, 750/1019 कुल किता 2 रकबा 0.25 हैक्टयर वाकिया |